अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि, की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। वर्ष 1997-98 से 2012-13 के दौरान प्रदत्त कुल ₹ 2,959.76 करोड़ के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित 15,690 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 170 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (₹ 38.93 करोड़) बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिये गये हैं। विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को निम्न तालिका में सांराशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विलम्ब की अवधि वर्षों में	कुल प्रदत्त अनुदान/ऋण		31 जुलाई 2014 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
0-1	58	11.53	58	11.53
1-3	115	24.79	79	21.06
3-5	395	46.07	27	4.73
5-7	629	71.71	1	1.49
7-9	1890	89.49	1	0.12
9 एवं अधिक	12,603	2,716.17	4	-*
योग	**15,690**	**2,959.76**	**170**	**38.93**

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित वाउचर

* केवल ₹ 0.36 लाख

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (127 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 19.47 करोड़) तथा समाज कल्याण विभाग (25 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 12.67 करोड़) से सम्बन्धित थे।

विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष, तथा वित्तीय अव्यवस्था से युक्त होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएं, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख, जो कि निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते है, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय इंगित करते हुए, लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त 363 लेखाओं में से 124 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आकर्षित हुई। इनमें से 83 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2014 तक की गयी। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षो के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं का वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	28	66.73	185.45
1-3 वर्ष	19	76.59	211.34
3-5 वर्ष	5	8.87	21.46
5-10 वर्ष	9	5.67	9.63
योग	**61**	**157.86**	**427.88**

यह देखा जा सकता है कि 14 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 3 से 10 वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान का उपयोग, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सका।

वर्ष 2012-13 तक देय 224 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 61 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 166 वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान को जून 2014 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण क्षेत्र में चार[1] स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सौंपी गई है जबकि, अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना एवं इसके विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गयी है। यह देखा जा सकता है कि सभी चार स्वायत्त निकायों के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे 2 से 14 महिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

3.4 विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे के रूप से तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं ताकि सरकार उनके कार्यो का आंकलन कर सके। विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय

[1] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

स्थिति तथा उनके व्यवसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय पर नहीं लिये जा सकते हैं।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2014 तक ऐसे सभी 10 विभागीय उपक्रमों द्वारा वर्ष 2012-13 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 प्रावधित करते हैं कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2014 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 49.55 करोड़ के दुर्विनियोजन (331) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (601) के 932 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही (जून 2014) लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का विवरण

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षो में	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	254	2,052.12	सामग्री की चोरी/हानि	**601**	**1,068.52**
5-10	243	1,310.97	दुर्विनियोजन/गबन	**331**	**3,886.83**
10-15	177	800.48			
15-20	139	495.42			
20-25	63	166.73	-	-	-
25 एवं अधिक	56	129.63	-	-	-
योग	**932**	**4,955.35**	कुल लम्बित प्रकरण	**932**	**4,955.35**

स्त्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	229	1731.42
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	625	2708.09
न्यायालयों में बकाया	78	515.84
योग	**932**	**4955.35**

स्त्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखों में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी जब तक कि उन्हें किन्हीं कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2013-14 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 14,229.32 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 89,174 करोड़) का 16 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2014 में ₹ 1,309.63 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये। इनमें से, ₹ 229.99 करोड़ (₹ 85.98 करोड़: पूंजीगत खाते एवं ₹ 144.01 करोड़: राजस्व खाते) अन्तिम तीन दिनों (29 से 31 मार्च 2014) में हस्तान्तरित किये गये। 31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निजी निक्षेप खातें			
	प्राप्तियाँ	संवितरण	31.03.2014 को स्थिति	
			खातों की संख्या	राशि
सक्रिय पीडी खाते	14,229.32	13,541.15	1,450	2,860.90
निष्क्रिय पीडी खाते *	..	..	20	1.00

* पॉच वर्षो से अधिक समय से निष्क्रिय

ऊपर दी गई तालिका यह इंगित करती है कि 1,470 पीडी खातों में ₹ 2,861.90 करोड़ का अव्ययित शेष था, जिसमें तीन पीडी खातों[2] का विशाल शेष सम्मिलित हैं जिनका अव्ययित शेष सभी पीडी खातों के अव्ययित शेष का 29.58 प्रतिशत

[2] (अ) निदेशक/आयुक्त/उप विकास आयुक्त, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (सचिवालय) (₹ 398.23 करोड़) , (ब) राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 303.66 करोड़), (स) प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 144.57 करोड़)।

था। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संधारित निजी निक्षेप (पीडी) खातों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

(1) निष्क्रिय निजी निक्षेप खाते

राजस्थान कोषालय नियमावली, 2012 का नियम 98 ध्यान दिलाता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में कोषाधिकारी अपने अधीन आने वाले कोषालय और उपकोषालयों के अन्तर्गत सक्रिय पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वर्षों में निष्क्रिय रहे खातों की सूची तैयार करेगा, ऐसे खातों को बन्द करने की सहमति लेने हेतु आवश्यक विवरण एवं खातों में रहे शेष जमा राशि के साथ सूचना प्रेषित करेगा।

31 मार्च 2014 को, ₹ एक करोड़ ***(परिशिष्ट 3.7)*** के 20 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2009-14) से निष्क्रिय थे, जिसमें मुख्यत: 3 पीडी खाते, क्रमश: उप वन संरक्षक (मरूस्थल विकास कार्यक्रम), जैसलमेर, जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा, मण्डल वन अधिकारी (पश्चिम), जयपुर शहर ₹ 21.74 लाख, ₹ 20.40 लाख तथा ₹ 10.11 लाख की शेष राशि के साथ सम्मिलित थे।

(2) ऋणात्मक शेष के बावजूद पीडी खाते से धन की निकासी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(1)(iii) के अनुसार निक्षेप लेखों से किसी भी परिस्थिति में जमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। 2013-14 के दौरान 21 पीडी खातों ***(परिशिष्ट 3.8)*** में राशि ₹ 19.68 करोड़ के ऋणात्मक शेष पाये गये, बावजूद इसके कि इसी तरह की टिप्पणियाँ पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गयी हैं। यह पीडी खातों के प्रचालन तथा रखरखाव में व्यवस्था दोष एवं वित्तीय दुर्विनियोजन को इंगित करता है।

(3) पीडी खातों से ₹ 48.96 लाख का उपयोग नहीं होना

मई 2014 को, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर के पीडी खातों में ₹ 48.96 लाख पिछले तीन वर्षों से अधिक से बिना उपयोग के पड़े हुए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया है:

(₹ लाख में)

क.सं.	योजना/प्रोजेक्ट का नाम	राशि	से अनुपयोगी पडी शेष राशि
1	हैण्डीकॉफ्ट एटलस	3.48	18.12.2002
2	प्रीवेनशन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ फ्लोरासिस	2.95	14.12.2005
3	हैण्डपम्प अटैच्ड डी-फ्लोरीडिऐशन	4.93	15.10.2008
4	नेशनल साइन्स डे	1.47	07.01.2011
5	आइडेन्टीटिफिकेशन, इनवेन्टरोजाइनेशन एण्ड डोक्यूमेन्टेशन ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोब्लम रिक्वायरिंग एस एण्ड टी इनपुट्स	6.77	06.11.2008
6	अण्डरस्टैण्डिंग प्लेनेट अर्थ	10.00	14.05.2009
7	सोशल डिफ्यूजन ऑफ इम्प्रूवड हैण्डपम्पस्	14.00	18.04.2010
8	पायलेट डीमॉन्सट्रेशन्स प्रोजेक्शन कम हायरिंग ऑफ एनिमल ड्रान ऑफ आर्म इम्पलीमेन्ट इन ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान	5.36	30.07.2010
	कुल	**48.96**	

विभाग ने सूचित किया (जून 2014) कि उपरोक्त राशियों को लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

3.7 लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक निर्णायक घटक यह है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जाये और उन्हे अद्यतन किया जाये ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी प्रमुख कार्यकलापों पर प्राप्तियों एवं व्ययों को पारदर्शी तरीके से वस्तुत: दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 62 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 7,264.05 करोड़, लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 8.15 प्रतिशत से अधिक थे।

मुख्य योजनाऐं, जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से वर्णित नहीं थे परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये, नीचे दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
1.	विभिन्न विद्युत निगमों को दी गयी सहायतार्थ अनुदान/सहाय्य	420.04
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं	419.29
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना	457.41
4.	जिला एवं अन्य सड़कों पर पूंजीगत व्यय	1,130.60
5.	बिक्री, व्यापार आदि करों के अन्तर्गत ब्याज अनुदान	118.43
6.	अच्छे देनदारों को सहकारिता के अन्तर्गत सहयोग हेतु ब्याज अनुदान	146.84
7.	शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	172.60
8.	जिला एवं अन्य सड़कें	625.55
9.	छोटे तथा मध्यम किसानों को कृषि फसलें, बागवानी फसलें तथा वार्षिक लीज फसलों हेतु कृषि आवक अनुदान	522.98
10.	छोटे तथा मध्यम किसानों हेतु कृषि आवक अनुदान	259.64
11.	सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत लेपटोप का वितरण	225.55
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	202.87
13.	ग्रामीण विकास विभाग की नई योजनाऐं	238.50
14.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा की फीस/छूट की राशि का पुनर्भरण	150.00

यद्यपि, इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए दी गई विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बंधित शीर्षवार विनियोग लेखों, जो कि राज्य

सरकार के लेखों के हिस्से हैं, में किया गया हैं, तथापि लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अंकित अधिक राशि वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यत: राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में 63 मदों[3] में ₹ 7534.03 करोड़ पुस्तक समायोजन के द्वारा अन्तरित किये गये। पुस्तक समायोजन मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि के शेषों पर ब्याज, सिंचाई योजना के पूंजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ पर व्यय, राज्य आपदा निधि को केन्द्र तथा राज्य अंश का हस्तान्तरण, जीवन बीमा निगम के शेष पर ब्याज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि, गारन्टी शुल्क का गारन्टी प्रावधायी मोचन निधि को स्थानान्तरण से संबंधित थे।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी 404 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 94,101.08 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का शत प्रतिशत अंकमिलान किया गया।

इसी प्रकार, 132 नियंत्रण अधिकारियों में से 130 द्वारा ₹ 74,480.65 करोड़ की कुल प्राप्तियों (जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं) के समक्ष ₹ 74,398.36 करोड़ (99.89 प्रतिशत) की राज्य सरकार की प्राप्तियों का अंकमिलान किया गया।

3.10 उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, प्राप्तियों एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यस्थ/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें ''उचन्त शीर्ष'' के रूप में जाना जाता है, परिचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षों में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखे शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये

[3] मदों का विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे (खण्ड- I) में दिया गया है।

जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत संचित रहती है जिससे सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों का सही रूप दर्शित नहीं होता।

उचन्त शेषों का खाता, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष '8658-उचन्त लेखे' के अन्तर्गत ₹ 26.68 करोड़ (जमा) का कुल निवल शेष था जिसमें कि वर्ष 2011-12 के ₹ 8.70 करोड़ (जमा) से ₹ 17.98 करोड़ की बढ़त रही। निवल जमा शेष में बढ़ोतरी मुख्यत: उप-शीर्ष स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त (₹ 26.34 करोड़) के अन्तर्गत रही जो कि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2013-14 में उप-शीर्ष वेतन एवं लेखा उचन्त (₹ 16.13 करोड़) के निवल नाम शेष में बढ़ोतरी द्वारा प्रतिसंतुलित हुयी।

उचंत लेखे के अन्तर्गत निवल शेष, वित्त लेखे में प्रतिबिंबित होते हैं और इस कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक स्थिति राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकार के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित नहीं हो पाती है। मुख्य शीर्ष ''8658-मुख्य उचन्त लेखे'' की गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.9*** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्तर-सरकारी एवं अन्तर-विभागीय संव्यवहारों के निपटान के लिये परिचालित किया जाता है। मार्च 2014 में इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 26.62 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 0.91 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त शीर्ष'' में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	18.19	-
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	7.35	0.07
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	0.47	-
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	0.24
5.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.61	0.59

स्त्रोत: वित्त लेखे

ऊपर दी गई तालिका यह इंगित करती है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा 31 मार्च 2014 को वसूल/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं

लेखा कार्यालय उचन्त के अन्तर्गत जमा एवं नामे शेष तथा उनका लगातार जुड़ना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति अथवा व्यय के अन्तिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है।

31 मार्च 2014 को इस लघु शीर्ष में ₹ 2 करोड़ (नामे) एवं (–) ₹ 0.03 करोड़ (जमा) का बकाया शेष था, जो ₹ 2.03 करोड़ की प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। मुख्यत: 'वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त' शीर्ष में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	नियत्रंक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद:	0.88	-
2.	नियत्रंक रक्षा लेखा (दक्षिणी कमांड), पूना	0.34	-
3.	निदेशक, डाक लेखा, कोलकाता के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत	0.70	(-) 0.02
4.	अवर्गीकृत उचन्त	0.07	0.01

स्त्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जो सम्बन्धित लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज नहीं हो सके, उनका एकाकी निपटारा किया जाना आवश्यक है। आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखों के पास वर्ष 1977-78 से 2012-13 की अवधि तक शेष ₹ 1.22 करोड़ (नामे) बकाया थे तथा डाक लेखा, कोलकाता के पास 1969-70 की अवधि से भवन निर्माण अग्रिम उचन्त के शेष ₹ 0.70 करोड़ (नामे) तथा (–) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया थे। ये पुराने शेष पूर्व वर्षों में राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं परन्तु परिशोधन हेतु कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुये भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जायेगा। इस शीर्ष का समाशोधन भण्डारों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ता/प्रभाग को भुगतान करने पर प्रतिलेखा प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जायेगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जायेगा।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2.23 करोड़ (जमा) का शेष बकाया था।लघु शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष समाशोधित नहीं किया जाना, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण दोष को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दी गयी ₹ 38.93 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की नमूना जाँच में बिना वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नही करने के मामले ध्यान में आये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विशुद्धता सत्यापित करने के लिये एवं यथा समय प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु स्वीकृति प्रदानकर्त्ता अधिकारी/सम्बन्धित विभाग एक उचित प्रणाली, विशेषत: सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से विकसित कर सकते है तथा व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के मामलों में गौर कर सकते हैं।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 61 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले 10 वर्षो से बकाया पाये गये।

लेखों के पिछले बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान करने हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही के लिए करना चाहिये।

दिव्या मल्होत्रा

जयपुर,

(दिव्या मल्होत्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली,

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक